

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या :- ग्रामीण 08/24

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
बैंक ऑफ महाराष्ट्र चौपासनी रोड़, जोधपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी विशाल वर्मा		<ul style="list-style-type: none">मैसर्स श्री हींगलाज आर्ट एण्ड काफ्ट जरिये धन्ना लाल पुत्र गेमर लाल 06 विश्वकर्मा नगर, नजदीक पाल रिको, पाल, जोधपुरनारायण दास पुत्र गेमर लाल प्लाट नं. 05, विश्वकर्मा नगर, नजदीक पाल रिको, पाल, जोधपुर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

सपस्थिति :-

आदेश दिनांक :- 18.03.2024

1-श्री चन्द्र सिंह राठौड़ अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

आदेश

प्रार्थी पक्ष की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण मैसर्स श्री हींगलाज आर्ट एण्ड काफ्ट जरिये धन्ना लाल पुत्र गेमर लाल व अन्य के विरुद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रूपये 23,10,000/- आवास ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण धन्ना लाल पुत्र गेमर लाल की जायदाद प्लाट नं. 71, खसरा नं. 138, सागर नगर, ग्राम पाल, जोधपुर जिसका कुल क्षेत्रफल 937.50 वर्गफुट, जिसके पूर्व-प्लाट नं. 64, पश्चिम- सड़क, उत्तर-प्लाट नं. 72, दक्षिण-प्लाट नं. 70 आया हुआ,

को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के


जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण) राज.

नाम से नोटिस जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 18.07..2023 तक 23,86,531.36/- रुपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीपक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रुपये 23,10,000/- आवास ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 18.07..2023 तक 23,86,531.36/- रुपये वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है। "दी सिक्चुराईटेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्चुरिटीइन्ट्रेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीपक्ष धन्ना लाल पुत्र गेमर लाल द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप रखी गई अपनी उक्त जायदाद धन्ना लाल पुत्र गेमर लाल की जायदाद प्लॉट नं. 71, खसरा नं. 138, सागर नगर, ग्राम घाल, जोधपुर जिसका कुल क्षेत्रफल 937.50 वर्गफुट जिसके पूर्व-प्लॉट नं. 64, पश्चिम- सड़क, उत्तर-प्लॉट नं. 72, दक्षिण-प्लॉट नं. 70 आया हुआ,

का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित थानाधिकारी एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

आदेश आज दिनांक 18.03.2024 को सुनाया गया।



जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर ग्रामीण
जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण) सज.